

9
2.11.21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

दही सिद्ध 43PS

बनाम

सरकार

किरण मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नाम्बर

सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

780

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जॉ इस हुकम की तामील में जारी किए
1/11/21	<p>तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार <u>लोणा</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021/529 दिनांक 1/11/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>43PS</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>43PS</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>१९७३-२०७६</u> के खाता सं <u>136</u> में <u>दही सिद्ध</u> <u>कापडीपा का देह लोणा</u> के स्थान पर <u>दही सिद्ध ज-भेध-चनु कोन</u> <u>कापडीपा का देह लोणा</u> की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>लोणा</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>43PS</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>१९७३-२०७६</u> के खाता सं <u>136</u> में <u>दही सिद्ध ज-भेध-चनु</u> <u>कापडीपा का देह लोणा</u> के स्थान पर <u>दही सिद्ध ज-भेध-चनु कोन कापडीपा</u> <u>का देह लोणा</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर
 कैम्प = 43PS

